रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 20, 1974/फाल्गुन 29, 1895

No. 132] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 1974/PHALGUNA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 20th March 1974

S.O. 186(E)/IDRA/18G/74.—In exercise of the powers conferred by section 18G and section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely:—

1. (i) This Order may be called the Cement Control (Amendment) Order, 1974.

(ii) It shall come into force with immediate effect.

2. In clause 2 of the Cement Control Order, 1967, in item (a), for the words and brackets "and white and coloured cement (other than gray portland cement)", the words, brackets, figures and letters, "white and coloured cement (other than grey portland cement) and grey cement of specific surface not less than 3500 cm^2/G" shall be substituted.

[No. 1-3/74-Cem.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1974

का० आ० 186(अ)/आई० डी० आर० ए० / 18 जी /74.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ज और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (i) इस आदेश का नाम सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1974 है ।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के खंण्ड 2 में, मद (क) में, "और सफेद तथा रंगीन सीमेंट, (ग्रे पोर्टलैण्ड सीमेंट के अतिरिक्त)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "सफेद और रंगीन सीमेंट (ग्रे पोर्टलैण्ड सीमेंट से भिन्न) तथा विनिर्दिष्ट सर्फेस का धूसर सीमेंट, जो 3500 से० मी०^2/ग्रा से कम का न हो" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[सं० 1-3/74-सीमेंट]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974